

23.11.2022

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थीगण वकील उप.। विप्रार्थी सं. 1 व 2 के वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के वकील को जवाब प्रस्तुत करने हेतु पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने पर उनकी ओर से जवाब का अवसर समाप्त किया जाता है।

आवेदन पत्र पर बहस सुनी गई।

प्रार्थी वकील की बहस है कि प्रार्थीगण की पैतृक जोत के वक्त भू-प्रबन्ध खसरा नम्बर 10 रकबा 24.18 बीघा, खसरा नम्बर 14 रकबा 83.00 बीघा, खसरा नम्बर 5 रकबा 12.14 बीघा व खसरा नम्बर 18 रकबा 12.06 बीघा कायम होकर पूर्व पुरुष टीकमा के वारीसान उसके दोनो पुत्रो क्रमशः मूला, विरधा पिसरान टीकमा के नाम भू-प्रबन्ध के खातेदारी रेकर्ड में दर्ज हुए। कि प्रार्थीगण हिन्दू विधि से शासित है तथा पूर्व पुरुष स्व. टीकमा के वारीसान है, प्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि ग्राम बावड़ी खुर्द पटवार मण्डल डंडाली तहसील सिणधरी में आई है। हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 6 अनुसार इस वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के पिता मूलसिंह के नाम अंकित हिस्से में प्रार्थीगण का अपने पिता के साथ उनके बराबर हिस्सा, प्रार्थीगण के जन्म के क्षण ही पैदा हो चुका था, भू-प्रबन्ध रेकर्ड खातेदारी से यह भली प्रकार साबित है कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के पिता हिस्सा 1/2 के खातेदार तथा इस पैतृक आराजी में प्रार्थीगण के अधिकार सृजित हो जाने के कारण प्रत्येक प्रार्थी अपने पिता के साथ बराबर अर्थात् हिस्सा 1/8 का अधिकारी हो गया एवम् स्वयं प्रार्थीगण के पिता स्व. मूलसिंह का

  
नक्षत्रक कलक्टर  
300 सिणधरी



भी हिस्सा 1/8 बनता है। वादग्रस्त आराजी के खेत खसरा नम्बर 10 रकबा 24 बीघा 18 विस्वा ग्राम बावड़ी खुर्द में हिस्सा 1/2 के स्व. मूलसिंह (मूला) रेकर्डेड खातेदार थे, उन्होने दिनांक 24.08.1960 को इस वादग्रस्त खसरा नम्बर 10 ग्राम बावड़ी खुर्द (डण्डाली) से सम्बन्धित प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता लाला पुत्र सवा एवम् प्रतिवादी संख्या 2 मगा पुत्र लाला के पक्ष में विक्रय पत्र संख्या 504 निष्पादित कर उप पंजियक कार्यालय बाड़मेर में पंजिबद्ध कराया जबकि विक्रेता मूला पुत्र टीकमा का वादग्रस्त खेत खसरा नम्बर 10 रकबा 24-18 बीघा में खातेदारी हिस्सा 1/2 दर्ज था लेकिन प्रार्थीगण का जन्म से पैतृक भूमि में अपना हिस्सा सृजित हो गया था तथा यह मान्य सिद्धान्त है कि एक विक्रेता उतना ही हिस्सा विक्रय करेगा जितने की हिस्से का वह खातेदार है परन्तु क्रेता ने इस विक्रय पत्र के आधार पर सम्पूर्ण खेत खसरा नम्बर 10 रकबा 24-18 बीघा ग्राम बावड़ी खुर्द के सम्पूर्ण रकबे का नामान्तरकरण संख्या 4 अपने पक्ष में खुलवा कर ग्राम पंचायत डंडाली से स्वीकृत करा कर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 10 सम्पूर्ण अपनी खातेदारी में दर्ज करा दिया जो प्रार्थीगण के हिस्से तक विधिविरुद्ध होने से खारिज लायक है। उक्त आराजी जिसमें प्रार्थीगण का हिस्सा सृजित हो चुका है राजस्व रेकर्ड में विप्रार्थीगण के नाम से दर्ज है तथा राजस्व रेकर्ड की इन प्रवृष्टियों का अनुचित लाभ उठाकर विप्रार्थीगण प्रार्थीगण के हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त की भूमि का विक्रय हस्तान्तरण करने एवं प्रार्थीगण को बैदखल करने पर ऊतारू है ऐसा करने में अगर विप्रार्थीगण सफल हो गये तो न केवल प्रार्थीगण के दावे का मकसद समाप्त होगा अपितु प्रार्थीगण को भारी क्षति होगी व मुकदमात की संख्या में बढोतरी भी होगी। ऐसी स्थिति को देखते हुए प्रथम दृष्टया सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति है, प्रार्थीगण के पिता द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि एवं प्रार्थीगण के निःसंतान चाचा स्व. विरधा के हिस्से की भूमि का भी बैचान कर प्रार्थीगण को अपने पैतृक सहदायिकी हिस्से से विधिविरुद्ध तरीके से वंचित किया है तथा विधिविरुद्ध बैचान के आधार पर विप्रार्थीगण मात्र खातेदारी अंकन के आधार पर प्रार्थीगण को अपने उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पति से वंचित किये जाने हेतु प्रयासरत है, यदि विप्रार्थीगण अपने इस नाजायज मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को भारी असुविधा होगी। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खेत खसरा संख्या

10 रकबा 24  
मण्डल डण्डाली  
हक

अतः  
मकसद  
300 दिनांक

13/5/2024

10 रकबा 24-18 बीघा (4.0288 हैक्टेयर) ग्राम बावड़ी खुर्द पटवार मण्डल डण्डाली तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर की प्रार्थीगण के हक हिस्सा, कब्जा काशत की भूमि में विप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी, हस्तक्षेप व बाधा कारित न करे तथा न ही प्रार्थीगण को बेदखल करने की कोशिश करे एवं न ही भूमि का बैचान करे तथा वादग्रस्त भूमि के मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें, इस आशय की अस्थाई निशेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरुद्ध जारी की जावें।

प्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत अभिकथनों के संबंध में विप्रार्थी सं. 1 व 2 के वकील द्वारा कोई उजर एतराज प्रस्तुत नहीं किये।

हमने प्रार्थी वकील की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन एवं विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। वादग्रस्त भूमी मौजा ग्राम बावड़ी खुर्द पटवार मण्डल डण्डाली तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 10 रकबा 24-18 बीघा (4.0288 हैक्टेयर) वक्त बंदोबस्त प्रार्थीगण के पिता मूला व चाचा विरधा के नाम दर्ज हुई। जंहा तक प्रार्थीगण ने अपने अभिकथनों में उल्लेखित किया कि है। हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 6 अनुसार इस वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के पिता मूलसिंह के नाम अंकित हिस्से में प्रार्थीगण का अपने पिता के साथ उनके बराबर हिस्सा, प्रार्थीगण के जन्म के क्षण ही पैदा हो चुका था, भू-प्रबन्ध रेकर्ड खातेदारी से यह भली प्रकार साबित है कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के पिता हिस्सा 1/2 के खातेदार थे तथा इस पैतृक आराजी में प्रार्थीगण के अधिकार सृजित हो जाने के कारण प्रत्येक प्रार्थी अपने पिता के साथ बराबर अर्थात् हिस्सा 1/8 का अधिकारी हो गया एवम् स्वयं प्रार्थीगण के पिता स्व. मूलसिंह का भी हिस्सा 1/8 बनता है तथा प्रार्थीगण के पिता द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि एवं प्रार्थीगण के निःसंतान चाचा स्व. विरधा के हिस्से की भूमि का भी बैचान कर प्रार्थीगण को अपने पैतृक सहदायिकी हिस्से से विधिविरुद्ध तरीके से वंचित किया है तथा विधिविरुद्ध बैचान के आधार पर विप्रार्थीगण मात्र खातेदारी अंकन के आधार पर प्रार्थीगण को अपने उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पति से वंचित किये जाने हेतु प्रयासरत है तथा उन्हें कब्जे काशत की भूमि से बेदाखली पर उतारू है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की इस्तदुआ अनुसार उक्त भूमि पैतृक पुश्तैनी होने पर उसका खातेदारी हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकार

नियंत्रक कलापर  
200 सिणधरी

अधिनियम व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार विवादित आराजी में प्रार्थीगण, विप्रार्थी सं. 1 का सामुहिक रूप से हिस्सा बनता है का निस्तारण मूल वाद के जरिये साक्ष्य / सबूत के आधार पर पक्षकारान की सुनवाई निर्णित किया जाना है, परन्तु प्रथम दृष्टया दोनों पक्षों द्वारा अपने अभिकथनों में स्वीकारोक्ति के अनुसार यदि दौराने विचारण वाद विवादित भूमि का बेचान कर दिया जाता है तो पक्षकारान के मध्य विवाद बठने से इन्कार नहीं किया जा सकता है और प्रकरण को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदीगीया बढेगी। उपरोक्त परिस्थिति को मददनेजर रखते हुए मूलवाद के निर्णय तक विप्रार्थी सं. 1 व 2 को पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ताफैसला मूलवाद के निर्णय तक विप्रार्थी सं. 1 व 2 को जरिये अस्थाई स्थगन आदेश के पाबंद किया जाता है कि वह ग्राम बावड़ी खुर्द पटवार मण्डल डण्डाली तहसील सिणघरी के खेत खसरा संख्या 10 रकबा 24-18 बीघा (4.0288 हैक्टेयर) भूमि अवस्थित में प्रार्थीगणकेकब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं कर राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

*23/11/2022*  
अध्यक्ष कलेक्टर  
SDO सिणघरी